संख्याः5/2017/1220/31-2017-65/2014टी0सी0

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1- समस्त नोडल अधिकारी,
(संलग्न सूची के अनुसार)
2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग **लखनऊः दिनांकः 11 अगस्त 2017**

विषय- शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण एवं स्थलीय निरीक्षण हेतु नवीन व्यवस्था।

महोदय,

आप अवगत हैं कि नोडल अधिकारियों द्वारा अपने आवंटित जनपद का प्रत्येक माह में एक बार भ्रमण कर चिन्हित कार्यक्रमों की समीक्षा, विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा।

2- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि नोडल अधिकारियों के निरीक्षण हेतु निरीक्षण आख्या के प्रारूप को निर्धारित किया जाए ताकि अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण में एकरूपता रहे। इस हेतु निरीक्षण आख्या को प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड एवम पंचम खंड में विभाजित किया जा रहा है। निरीक्षण आख्या हेतु प्रारूप संलग्न है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माह अगस्त, 2017 एवं उसके बाद संलग्न प्रारूप के अनुसार नोडल अधिकारियों द्वारा समीक्षा एवं निरीक्षण कार्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संपन्न करके निरीक्षण आख्या संलग्न प्रारूप पर निरीक्षण कार्य से संबंधित वेबसाइट **http://fieldinspections.up.nic.in** पर अपलोड की जाएगी।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(संजीव सरन)

अपर मुख्य सचिव।

संख्याः5/2017/1220/31-2015-65/2014 टी.सी. तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. माननीय अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
8. उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी, उत्तर प्रदेश, योजना भवन, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विवेक वार्ष्णेय)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण एवं स्थलीय निरीक्षण हेतु प्रारूप

नोडल अधिकारी अपने आवंटित जनपद का प्रत्येक माह में एक बार भ्रमण कर चिन्हित कार्यक्रमों की समीक्षा, विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं स्थलीय निरीक्षण, कतिपय कार्यालयों का विस्तृत निरीक्षण एवं एक ग्राम का भ्रमण भी संपादित करेंगे।

भ्रमण कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि जनपद में समीक्षा सत्यापन एवं निरीक्षण हेतु कम से कम दो कार्य दिवस वास्तविक रूप से उपलब्ध हो सकें। नोडल अधिकारी द्वारा निरीक्षण आख्या पांच खंडों के निम्नानुसार प्रेषित की जाएगी।

प्रथम खंड

विकास कार्यक्रमों की समीक्षा

भ्रमण कार्यक्रम में प्रथम कार्य दिवस के पूर्वान्ह में जिला अधिकारी के मार्ग निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों/ योजनाओं से संबंधित जनपदीय अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं की एक समीक्षा बैठक नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी।

एजेंडा बिंदु

क्र.स.	योजना का नाम	नोडल विभाग
1.	जघन्य अपराधों में कार्यवाही की समीक्षा	गृह
2.	निरोधात्मक कार्रवाई की स्थिति	
3.	महिला अपराधों में कार्यवाही की समीक्षा	
4.	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध	
5.	यातायात व्यवस्था व नियमों के अनुपालन की समीक्षा	
6.	लंबित विवेचनाओं व वांछित अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की समीक्षा	
7.	थाना समाधान दिवस	
8.	संगठित अपराधियों/माफियाओं के विरूद्ध कार्रवाही की समीक्षा	
9.	एंटी रोमियों स्क्वायड/फुट पेट्रोलिंग की समीक्षा	
10.	डायल 100 के कार्यों व शिकायतों की समीक्षा	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11.	इनामी अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाही की समीक्षा	
12.	कानून व्यवस्था की महत्वपूर्ण घटनाओं व प्रमुख त्यौहारों की तैयारी की समीक्षा	
13.	कर-करेत्तर	वित्त/राजस्व
14.	भू-माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही	राजस्व
15.	राजस्व वादों का निस्तारण	
16.	लोकवाणी/जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से जारी होने वाली राजस्व विभाग के सेवाओं की स्थिति	
17.	बाढ़/सूखा/ओलावृष्टि/अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय	
18-	तहसील समाधान दिवस	
19.	चकबन्दी वादों का निस्तारण	
20.	आई0जी0आर0एस0	मुख्यमंत्री कार्यालय एवं लोक शिकायत
21.	चिकित्सकों की उपस्थिति	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
22.	दवाओं की उपलब्धता	
23.	एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति	
24.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	
25.	संस्थागत प्रसव	
26.	टीकाकरण	
27.	वेक्टर जनित रोग (डेंगू/जे0ई0/ए0ई0एस0) नियंत्रण कार्यक्रम	
28.	अधूरे निर्माण कार्यों की प्रगति	
29.	राज्य/14 वॉं वित्त आयोग	पंचायतीराज
30.	समस्त छात्रवृत्ति योजना	समाज कल्याण/ पिछड़ा वर्ग कल्याण/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण/ महिला कल्याण
31.	समस्त पेंशन योजना	
32.	181 महिला हेल्पलाइन योजना	महिला कल्याण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

33.	मनरेगा	ग्राम्य विकास
34.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	
35.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना	
36.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना	खाद्य एवं रसद
37.	नई सड़कों का निर्माण	लोक निर्माण
38.	ओ0डी0आर0/एम0डी0आर0/राज्य मार्गों के अनुरक्षण की स्थिति	
39.	सेतुओं का निर्माण	
40.	सड़कों के गड्ढामुक्ति की स्थिति	
41.	नगरीय स्ट्रीट लाईटिंग	नगर विकास/ नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
42.	अमृत एवं स्मार्ट सिटी योजना	
43.	अपशिष्ट प्रबन्धन	
44.	नमामि-गंगे परियोजना	नगर विकास/ पंचायती राज
45.	कक्षा-8 तक सभी छात्रों को किताबें यूनीफार्म वितरण	बेसिक शिक्षा
46.	छात्रों का नामांकन	
47.	गन्ना मूल्य भुगतान	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
48.	रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति	ऊर्जा
49.	ग्रामों का ऊर्जीकरण	
50.	ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन	
51.	नए विद्युत कनेक्शन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति	
52.	पारदर्शी किसान सेवा योजना	कृषि
53.	खाद/बीज इनपुट की उपलब्धता एवं वितरण	
54.	ऋण माफी योजना	
55.	प्रधानमंत्री आवास योजना	ग्राम्य विकास/ नगर विकास आवास एवं शहरी नियोजन
56.	आई0सी0डी0एस0	बाल विकास एवं पुष्टाहार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

57.	ई-टेण्डरिंग	आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स
58.	50 लाख से अधिक लागत की अधूरी परियोजनाओं (सड़कों को छोड़कर) की स्थिति	नियोजन
59.	अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही	भूतत्व एवं खनिकर्म
60.	स्वच्छ भारत मिशन	नगर विकास/ पंचायती राज
61.	नहरों में टेल तक पानी पहुँचाना	सिंचाई एवं जल संसाधन

द्वितीय खंड

परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण

बैठक समाप्ति के पश्चात नोडल अधिकारियों द्वारा विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं विशेष रुप से बड़ी लागत की दो परियोजनाओं के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। उचित होगा कि समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान ही बड़ी लागत की दो ऐसी परियोजनाओं को चिन्हित कर लिया जाये, जिनका सत्यापन बैठक के पश्चात किया जा सके। निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता के साथ-साथ कार्य पूर्ण करने की समयबद्धता की समीक्षा भी अवश्य की जाय।

प्रारूप

(धनराशि - लाख रू0 में)

क्र सं.	परियोजना का विवरण	कार्यदायी विभाग	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	निरीक्षण की तिथि तक व्यय	व्यय का प्रतिशत अवमुक्त से (6/5)	व्यय का प्रतिशत स्वीकृत लागत से (6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निरीक्षण तिथि को भौतिक प्रगति का प्रतिशत	*पायी गयी कमियाँ	त्रुटि/कमी हेतु दोषी अधिकारी का नाम/ पदनाम/ विभाग	प्रस्तावित कार्यवाही	सुझाव यदि कोई हों
9	10	11	12	13

*संबंधित स्थलीय फोटो संलग्न करें

निरीक्षण के समय नोडल अधिकारी अपने साथ जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई अभियंताओं की टीम लेकर जाएंगे। उक्त टीम में उस विभाग के अभियंता शामिल नहीं किए जाएंगे जिस विभाग के कार्य का निरीक्षण किया जाना हो। परंतु उस विभाग के उत्तरदायी अधिकारी भी निरीक्षण के समय उपस्थित रहें।

तृतीय खंड
कार्यालयों का निरीक्षण

भ्रमण कार्यक्रम के प्रथम दिवस के अपरान्ह में तथा द्वितीय कार्य दिवस के पूर्वान्ह में नोडल अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों के अतिरिक्त निम्नांकित चार श्रेणियों में से एक-एक प्रतिष्ठान का विस्तृत निरीक्षण भी किया जाएगा तथा उसकी निरीक्षण टिप्पणी भी अंकित की जाएगी।

श्रेणी-1 थाना

श्रेणी-2 तहसील

श्रेणी-3 जिला चिकित्सालय/सी0एच0सी0/पी0एच0सी0

श्रेणी-4 अन्य विभाग के जिलास्तरीय कार्यालय/स्थानीय निकाय /विकास खण्ड

चतुर्थ खंड
ग्राम का भ्रमण/निरीक्षण

भ्रमण के दूसरे दिवस किसी एक ग्राम का निरीक्षण किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा ग्राम में संचालित समस्त कार्यक्रमों की प्रगति पुस्तिका तैयार कराकर नोडल अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। निरीक्षण हेतु निर्धारित दिनांक को ग्राम सभा की खुली बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें नोडल अधिकारी द्वारा विभिन्न योजनाओं के भौतिक कार्यों एवं लाभार्थियों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा। उपरोक्त बैठक हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियमानुसार ससमय सूचना जारी की जाएगी। नोडल अधिकारी द्वारा ग्राम में समीक्षा/निरीक्षण लाभार्थीपरक योजनाओं का किया जाएगा।

पंचम खंड

(विशेष उल्लेखनीय तथ्य)

इस खंड में (विशेष उल्लेखनीय तथ्य) शामिल किए जाएंगे, जिनमें कमियों हेतु दोषी पाए गए अधिकारियों एवं कर्मियों, यदि कोई हो, का सुस्पष्ट विवरण अंकित किया जाएगा। नोडल अधिकारीगण अपने अति महत्वपूर्ण विशिष्ट सुझावों का उल्लेख भी इस खण्ड के अंतर्गत करेंगे।

(विवेक वार्ष्णेय)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।